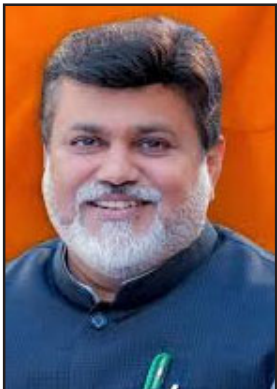


दोनों सेनाओं की फोड़-फोड़ की चर्चाओं ने नागपुर की सर्दी में भी गर्मी ला दी!



पहले से ही उल्हास, उस पर फाल्गुन मास - ठीक वैसी ही स्थिति महाराष्ट्र के विपक्ष की हो गई है। उंगलियों पर गिनती के इतने ही सदस्य और वे भी बिना विपक्ष नेता के, इसलिए इस हिवाली अधिवेशन में विपक्ष की हवा ही निकल गई है।

पिछले कुछ महीनों में सत्ताधारी दलों के विधायकों, पदाधिकारियों और मंत्रियों से जुड़े कई मामले, नगरपालिका चुनावों में हुआ घपला-घोटाला - ये सब विवादास्पद रहे हैं। अगर इन भ्रष्टाचार के मामलों को सदन में विपक्ष नेता ने उठाया होता तो बात रिकॉर्ड पर आ जाती। इसलिए सत्ताधारियों ने चाल चली है कि दोनों सदनों में विपक्ष नेता ही नियुक्त नहीं होने दिया जाए। कहा जा रहा है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी के सिद्धांत पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुती सरकार का यह दूसरा हिवाली अधिवेशन बेधड़क और बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं।

इसलिए आज अधिवेशन के पहले दिन नागरिकों की समस्याओं की बजाय चर्चा



हिवाली अधिवेशन डायरी

- जमीर काज़ी

हुई तो सिर्फ ऑपरेशन टायगर और शिंदे सेना के २२ विधायकों की फोड़-फोड़ की।

महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा २० विधायक ठाकरे गुट के हैं, इसलिए उन्होंने विधानसभा में विपक्ष नेता पद के लिए भास्कर जाधव का नाम प्रस्तावित किया था। दो अधिवेशन बीत जाने के बावजूद स्पीकर ने अभी तक फैसला नहीं

लिया। इसे काउंटर करने के लिए महायुती के नेताओं ने भास्कर जाधव और ठाकरे गुट के कुछ विधायकों से मुलाकात की। परिवहन मंत्री सरनाईक के साथ बातचीत हुई। नतीजा - ऑपरेशन टायगर चल रहा है, यह ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी और अधिवेशन को अचानक अलग रंग मिल गया। आखिरकार आदित्य ठाकरे ने खुद स्पष्टीकरण देकर उस पर पर्दा डाल दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि शिंदे गुट के २२ विधायक भाजपा में शामिल हो रहे हैं और शिंदे गुट में बगावत करा रहा है कोई एक मंत्री। इस दावे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोरदार पलटवार किया और सारी हवा निकाल दी।

फडणवीस ने कहा, हमें शिंदे सेना के विधायक अपने पास लेकर क्या करना है? वे तो पहले से हमारे ही हैं। शिंदे सेना हमारा मित्र पक्ष है, वही असली शिवसेना है। इसलिए हमें उनके विधायक क्यों फोड़ने हैं? हम ऐसी राजनीति नहीं करते। उल्टा शिवसेना को और मजबूत होना चाहिए, उसके लिए हम उनकी पीठ पर खड़े हैं।

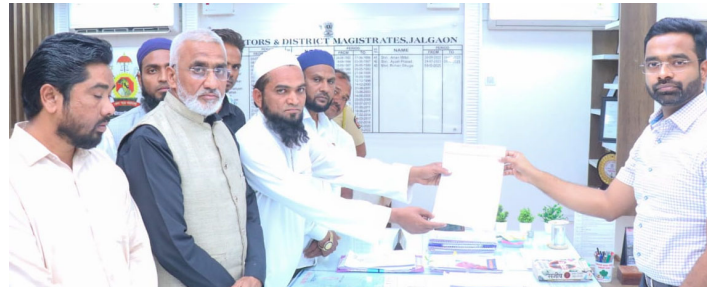
आमतौर पर अधिवेशन के पहले दिन शोक प्रस्ताव पास करके सदन स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन उसी पहले दिन यह साफ हो जाता है कि पूरा सत्र कैसे चलेगा। इसलिए ७ दिन के इस अधिवेशन का सारा कामकाज पूरी तरह सत्ताधारियों की मर्जी से चलेगा। विपक्ष के हाथ में सिर्फ रोज थोड़ी देर सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन करना और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करना ही बचा है।

अक्कलकुवा मदरसों पर लगाए गए निराधार आरोपों के विरोध में जलगांव में तीव्र निषेध प्रदर्शन

किरिट सोमैया के खिलाफ निष्पक्ष जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की उठी मांग



जलगांव (अकील खान ब्यावली) जलगांव जिला एकता संगठन द्वारा ८ दिसंबर को दोपहर ३ से ४ बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक घंटे का शांतिपूर्ण किंतु प्रखर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन अक्कलकुवा (जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र) के मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लगाए गए तथाकथित भड़काऊ और निराधार आरोपों के खिलाफ सामूहिक आपत्ति दर्ज कराने हेतु किया गया। यह आरोप पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता किरिट सोमैया द्वारा २६ नवंबर २०२५ को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जामिया मिल्लिया इश्तातुल उलूम अक्कलकुवा एवं उसकी शाखाओं पर लगाए गए थे, जिन्हें समुदाय ने पूर्णतः असत्य, भ्रामक और संस्थागत प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने वाला बताया। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और उच्च प्रशासन को साँपा निवेदन प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी राहुल घुगे के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा संबंधित उच्च अधिकारियों को विस्तृत लिखित निवेदन साँपा। इसमें निम्न मांगें प्रमुख रूप से रखी गईं, मुख्य मांगें-१. किरिट सोमैया द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जाए-२. यदि



जांच में आरोप असत्य सिद्ध हों, तो साम्प्रदायिक तनाव फैलाने, मिथ्या प्रचार करने तथा भ्रामक सूचना प्रसारित करने के आरोपों में आई.टी. एक्ट, भारतीय दंड संहिता, के संबंधित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए-३. प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं की साख की रक्षा के लिए सरकार द्वारा तथ्यात्मक एवं आधिकारिक बयान जारी किया जाए, ताकि भ्रामक अभियानों और नफरत फैलाने वाले तत्वों पर प्रभावी रोक लग सके।

अक्कलकुवा मदरसों की वास्तविकता निवेदन में रखे गए तथ्य, निवेदन में बताया गया कि, अक्कलकुवा के मदरसे दशकों से हजारों गरीब, अनाथ और बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आवास और भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। सभी संस्थान सरकारी नियमों, वैधानिक अनुमतियों और नियमित

ऑडिट प्रक्रिया के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यरत हैं, अब तक किसी भी जांच में किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि का एक भी प्रमाण सामने नहीं आया है। इसके बावजूद इन संस्थानों को बदनाम करने की एक सुनियोजित मुहिम चलाई जा रही है, जिसे समुदाय ने पूरी शक्ति के साथ अस्वीकार किया। शिक्षा केंद्रों पर हमला स्वीकार नहीं फारुक शेख संगठन के समन्वयक फारुक शेख ने कहा, शिक्षा के पवित्र केंद्रों पर बेबुनियाद आक्षेप और हमले किसी भी रूप में स्वीकार नहीं नफरत से नहीं, एकता, शांति और भाईचारे से ही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। अफवाहों से सावधान रहें और सत्य का साथ दें।

मुफ्ती खालिद और मौलाना कासिम ने पेश की विस्तृत जानकारी मुफ्ती खालिद साहब तथा मौलाना कासिम नदवी ने अक्कलकुवा

के मदरसों के वास्तविक कार्य, व्यवस्थाओं और समाजसेवी गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया।

उल्लेखनीय उपस्थितियां जिलाधिकारी कार्यालय पर हुए इस विरोध कार्यक्रम में मुफ्ती खालिद एडवोकेट अवेश शेख एडवोकेट अमीर शेख मतीन पटेल, अनवर

सिकलगर, मजुहर पठान मौलाना कासिम नदवी मौलाना गुफरान शेख, मौलाना अब्दुल मजीद अब्दुल हमीद,

मौलाना मोहम्मद इसहाक, सैय्यद चांद सैय्यद अमीर सईद शेख, जावेद शेख, अब्दुल रऊफ अब्दुल रहीम, रज्जाक पटेल सलीम इनामदार, मोहम्मद शम्सुद्दीन पिंजारी तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। निवेदन की प्रतियां, अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार (नई दिल्ली), अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र राज्य (मुंबई), मानवाधिकार आयोग दिल्ली एवं मुंबई को भी प्रेषित की गईं।

ज्येष्ठ समाजसेवी एवं श्रमिक नेते डॉ.बाबा आढाव का पुणे में निधन

पुणे, संवाददाता आज ८ दिसंबर २०२५ को पुणे में प्रख्यात समाज सुधारक, असंगठित मजदूरों के मसीहा एवं सत्यशोधक चळवळ के पुरोधा डॉ. बाबासाहेब पांडुरंग आढाव (बाबा आढाव) का ९५ वर्ष की आयु में दुःखद निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से अस्वस्थ थे और पूना हॉस्पिटल में भर्ती थे। फेफड़ों की गंभीर बीमारी तथा वृद्धावस्था के कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और सायंकाल उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से महाराष्ट्र ही नहीं, समूचे देश के श्रमिक जगत और सामाजिक आंदोलन में अपूरणीय क्षति हुई है। बाबा आढाव जी का संक्षिप्त जीवन



परिचय एवं अविस्मरणीय योगदान जन्म एवं प्रारंभिक जीवन: १ जून १९३० को पुणे में जन्म। बचपन में पिता का निधन होने पर भी माँ बाबूताई के संबल से शिक्षा पूरी की तथा १९५२ में आयुर्वेद की डिग्री प्राप्त कर नाना पेठ में चिकित्सालय शुरू किया। श्रमिक एवं सामाजिक संघर्ष: सत्यशोधक एवं समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना समस्त जीवन वंचितों-शोषितों के उत्थान को समर्पित कर दिया। १९५५ से हमालों को संगठित करना शुरू किया। १९६३ में देश की पहली असंगठित मजदूर संस्था हमाल पंचायत की स्थापना।

१९६२-१९७९ तक पुणे मनपा के नगरसेवक रहे। एक गाँव - एक पाणवठा जैसे जनआंदोलन चलाए। शिक्षा चालक, निर्माण मजदूर, झोपडपट्टीवासी जैसे लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक न्याय दिलाया। अमिट विरासत बाबा आढाव केवल नेता नहीं, लाखों मजदूरों के लिए जीवंत प्रेरणा और परिवार थे। उनके निधन पर पूरा महाराष्ट्र शोकसंतप्त है। अनेक राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं श्रमिक संगठनों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। परिवार ने निधन की आधिकारिक सूचना दी है; अंत्येष्टि की तिथि एवं स्थान शीघ्र घोषित किया जाएगा।

गायगोठा निर्माण के लिए अपर्याप्त अनुदान; संशोधित दर तुरंत लागू करें-अनिलदादा जगताप

बीड, प्रतिनिधि मनरेगा (रोजगार गारंटी योजना) के तहत किसानों को गायगोठा निर्माण के लिए मिलने वाली मात्र ८३,९९४ रुपये की राशि आज के समय में बिल्कुल अपर्याप्त है। इसलिए शासन के संशोधित आदेश को तुरंत लागू कर बढ़ा हुआ अनुदान दिया जाए - यह जोरदार मांग शिवसेना बीड जिलाप्रमुख अनिलदादा जगताप ने जिलाधिकारी को लिखित ज्ञापन देकर की है। ज्ञापन में कहा गया है कि बीड विधानसभा क्षेत्र के किसानों को अभी तक पुरानी दर (८३,९९४ रुपये) के

हिसाब से ही गोठा अनुदान मिल रहा है। लेकिन निर्माण सामग्री, मजदूरी और तकनीकी खर्च में भारी बढ़ोतरी के कारण यह राशि गोठा पूरा करने के लिए काफी नहीं रह गई है। शासन निर्णय क्रमांक मग्राहो-२०२०/प्र.क्र.७०/रोहो-७ के संशोधित प्रावधान स्पष्ट रूप से कहते हैं: २ से ६ पशुओं के लिए एक गोठा ६ से अधिक पशुओं के लिए ६ गुना तक अनुदान



१२ पशुओं के लिए दोगुना, १८ पशुओं के लिए तिगुना अनुदान दिया जा सकता है

इससे अधिक अनुदान स्वीकार्य नहीं परंतु यह संशोधित दर बीड तालुका में अभी तक लागू नहीं की गई है, जबकि जिले के

बाकी सभी तालुकों में यह लागू हो चुकी है। इससे बीड तालुका के किसानों के साथ स्पष्ट भेदभाव और अन्याय हो रहा है। कई किसानों ने लिखित व मौखिक शिकायतें की हैं कि

उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अनिलदादा जगताप ने कहा, शासन का परिपत्रक पूरी तरह स्पष्ट है। फिर भी केवल बीड तालुका में संशोधित अनुदान लागू न होना सरासर अन्याय है। किसानों को मजबूत और सुरक्षित गोठा बनाने के लिए बढ़ी हुई राशि मिलना जरूरी है। उन्होंने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप कर शासन निर्णय की समान रूप से अंमलबजावणी करने और बीड तालुका के किसानों को भी न्याय दिलाने की मांग की है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

बीड में तीन पैशाचा तमाशा नाटक का शानदार मंचन

बीड (प्रतिनिधि) दिनांक ८ दिसंबर अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद की बीड शाखा द्वारा आयोजित हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धा में विश्वविख्यात नाटककार बर्टोल्ट ब्रेख्त की कृति तीन पैशाचा तमाशा (मराठी अनुवाद : पु. ल. देशपांडे) का निर्देशन असलम युनूस ने किया। इस नाटक का शानदार मंचन ६ दिसंबर को हुआ जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। भिखारियों के सोंग का धंधा करने वाले रैकेट, अपराध जगत, अमीर-गरीब	की खाई और कानून का दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर यह नाटक हास्य और व्यंग्य के साथ तीखा प्रहार करता है। बेहतरीन नेपथ्य, संगीत, प्रकाश योजना, मेकअप और वेशभूषा के कारण दर्शक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। यह प्रयोग सौ. के. एस. के. कॉलेज, बीड के नाट्यशास्त्र विभाग के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. संजय पाटील देवळाणकर ने बताया कि इस चुनौतीपूर्ण नाटक को सफलतापूर्वक मंचित करने में अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद की अध्यक्ष डॉ. दीपा		महत्वपूर्ण है। नाटक में सहभागी कलाकार अभिनय यशराज सवाई, अभिषेक इनकर, स्नेहा व्हरकटे, निकिता काशीद, अभिषेक घुले, शैलेश थोरात, सागर धनवे, शुभम पाटोळे, किरण काळे, मिलिंद शिवनीकर, कोयल काळे, तनिष्का देवकर, शरद भांगरे, सायली गायकवाड, शिवराज झांबरे, निखील काकडे, संस्कृती अंधारे, प्रणिता वीर, वाल्मीक गाणार तकनीकी दल नेपथ्य : अमित गाढे	प्रकाश योजना : अशोक घोलप, अमन तांगडे संगीत संयोजन : पवन शिंदे संगीत सहायक : आविष्कार क्षीरसागर, ज्ञानेश्वर बिचुकले, तुषी दराडे रंगभूषा-वेशभूषा : प्रा. डॉ. संजय पाटील देवळाणकर रंगमंच व्यवस्था : मिलिंद शिवनीकर, कबीर जाधव सहयोग : डॉ. दुष्यंत रामटेके, प्रा. विजय राख दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।
---	---	--	---	---

इन्डिगो ने भाजपा को इलेक्टोरल बॉण्ड से ५६ करोड़ दिए, इसकी जाँच ज़रूरी : पृथ्वीराज चव्हाण का मोदी सरकार पर तीखा हमला

इंडिगो संकट पर पूर्व मुख्यमंत्री ने एकचक्र राज तोड़ने और नागरिक उड्डयन मंत्री से तत्काल इस्तीफ़े की माँग की	मुंबई इंडिगो एयरलाइन के बड़े पैमाने पर खड़े हुए संकट ने हजारों यात्रियों को भारी परेशानी में डाल दिया है। इस पूरे प्रकरण ने देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बढ़ती एकचक्र राज (मोनोपॉली), नियमों की खुली उल्लंघना और सरकारी नियामक की कमजोरी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने सोमवार को केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और निजी एयरलाइंस कंपनियों पर करारा हमला बोला। मुंबई स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा – इंडिगो का यह यात्री-संकट अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। यह उल्टा- और केंद्र सरकार की ओर से एयरलाइन को लगातार दी जा रही ढील और पक्षपात का सीधा नतीजा है। 9 जुलाई २०२४ से लागू होने वाले नए नियमों को ठेंगा दिखाकर इंडिगो जैसी कुछ कंपनियों की मनमानी और बढ़ी, जिसका खामियाजा आज लाखों यात्री भुगत रहे हैं। एकचक्र राज का खतरनाक चेहरा इंडिगो के पास ६५% और टाटा ग्रुप के पास ३०% मार्केट शेयर सिर्फ दो ग्रुप मिलकर पूरे देश के हवाई यातायात पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं कम्पिटीशन कमीशन इस मनमानी को रोकने में पूरी तरह नाकाम पृथ्वीराज चव्हाण ने सुझाव दिया कि इंडिगो को दो हिस्सों में बाँटकर दोनों का अधिकतम मार्केट शेयर ३०% तक सीमित किया जाए। गंभीर आरोप इंडिगो के मालिकों ने भाजपा को इलेक्टोरल बॉण्ड के ज़रिए ५६ करोड़ रुपये का चंदा दिया। उल्टा- के हर फैसले और इस चंदे के बीच संबंध की गहन	जाँच होना ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा कि २५ नवंबर २०२५ को अदानी डिफेंस ने देश की सबसे बड़ी पायलट ट्रेनिंग संस्था खरीद ली। नागरिक उड्डयन मंत्री के यह बयान देने के तुरंत बाद कि आने वाले १५ साल में देश को ३० हजार पायलट चाहिए होंगे, अदानी का यह कदम कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सात बड़े माँगें नागरिक उड्डयन मंत्री तुरंत इस्तीफ़ा दें उल्टा- के जिम्मेदार अफसरों को बर्खास्त किया जाए इंडिगो के उएज को निलंबित किया जाए १५ दिन में रिपोर्ट देने वाली उच्चस्तरीय जाँच समिति गठित हो कम्पिटीशन कमीशन भंग कर नया सशक्त आयोग बनाया जाए इंडिगो को विभाजित कर एकचक्र राज खत्म किया जाए मनमोहन सिंह सरकार के अर्थोपरीटी (उ-—) को लागू किया जाए यात्रियों को राहत और भविष्य की चेतावनी चव्हाण ने माँग की कि संकट में दोगुना-तिगुना किराया देकर टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए कम-से-कम १००० करोड़ का विशेष राहत कोष बनाया जाए और भोपाल गैस त्रासदी की तर्ज पर मुआवज़ा दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी, २००४ में देश में १० एयरलाइंस थीं, आज सिर्फ़ दो बड़ी कंपनियाँ बची हैं। ४० करोड़ सालाना यात्रियों वाले देश में दो कंपनियों का राज आने वाले दिनों में और भी भयानक संकट पैदा करेगा। निजी एकचक्र राज से बचने के लिए सरकार को अपनी सरकारी एयरलाइन फिर से शुरू करनी चाहिए।
---	--	--

सशस्त्र सेना ध्वज दिवस निधि सैनिक परिवारों का सबसे बड़ा सहारा-मुख्यमंत्री फडणवीस

विशेष प्रतिनिधि नागपूर, ८ दिसंबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सैनिकों का देश के लिए समर्पण किसी भी कीमत से मापा नहीं जा सकता। उनकी कठिन ज़िंदगी और बलिदान देने वाले परिवारों की मदद के लिए सरकार कई योजनाएँ चला रही है। सशस्त्र सेना ध्वज दिवस निधि भी इन परिवारों के लिए बहुत बड़ा आधार बनता है। रामगिरी शासकीय निवास पर सोमवार को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस निधि संकलन अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, वित्त राज्यमंत्री एड. आशीष जयसवाल, पुलिस महानिदेशक रश्मी शुक्ला, विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिंद्री, जिलाधिकारी विपिन इटनकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा, शहीद सैनिक के परिवार को पहले २५ लाख रुपये दिए जाते थे, अब इसे चार गुना बढ़ाकर १ करोड़ रुपये कर दिया गया है। आम जनता भी अपनी दैनिक कमाई में से ध्वज दिवस निधि में योगदान देती है। यह पैसा सैनिक कल्याण के कई कामों में लगता है। सभी नागरिकों से अपील है कि इस पुनीत कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और सैनिकों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं ध्वज दिवस बैज लगाकर अभियान की शुरुआत की। नागपूर जिले ने पिछले साल १६४% लक्ष्य हासिल करने पर विभागीय आयुक्त व जिलाधिकारी को सम्मानित किए गए। विशेष सम्मान फूल बेचने वाले आशीष गडीकर व संतोष गडीकर – हर महीने ५०० रुपये निधि में देते हैं १९६५-७१ युद्ध के वीर मेजर हेमंत जकाते – ५०,००० रुपये श्रीमती गीता कोठे – १ लाख		नागपूर की शानदार उपलब्धि २०२४ में नागपूर को २.१५ करोड़ का लक्ष्य था फजिले ने ३ करोड़ ५१ लाख ७१ हजार रुपये (१६४%) जमा किए। २०२५ का लक्ष्य भी २.१५ करोड़ रखा गया है। वंदे मातरम् और राज्यगीत से शुरू हुआ हिवाली अधिवेशन नागपूर, ८ दिसंबर महाराष्ट्र विधानसभा के हिवाली अधिवेशन की कार्यवाही सोमवार को राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' और राज्यगीत 'जय जय महाराष्ट्र माझा' से शुरू हुई। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय रचित 'वंदे मातरम्' को १५० वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदन में पूरा गीत गाया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष	एड. राहुल नावेंकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। विधानसभा के पैनल अध्यक्ष घोषित नागपूर, ८ दिसंबर विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नावेंकर ने सोमवार को पैनल अध्यक्षों की सूची जारी की। निम्न सदस्यों को तालिका (पैनल) अध्यक्ष नियुक्त किया गया है: चैनसुख संचेती किशोर आप्पा पाटील डॉ. राहुल पाटील उत्तमराव जानकर रामदास मसराम समीर कुणावार श्रीमती सरोज अहिरे
--	---	--	---

मुख्यमंत्रियों को गुजरात स्टाइल में राज्य चलाना है, गुजरात मॉडल पर महाराष्ट्र चला रहे हैं : नाना पटोले का फडणवीस पर तीखा हमला

नियम क्या कहते हैं? विधानसभा में विरोधी पक्षनेता बनने के लिए कुल सीटों का कम-से-कम १०% (यानी २९ सीटें) जरूरी हैं। वर्तमान में महाविकास आघाड़ी के किसी भी दल के पास अकेले २९ विधायक नहीं हैं। विपक्ष का मौजूदा संख्याबल (विधानसभा) शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) : २० कांग्रेस : १६ राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरदचंद्र पवार) : १० कुल विधानसभा सीटें : २८८ *विधान परिषद में स्थिति कांग्रेस : ८ राष्ट्रवादी (शरद पवार) : २ शिवसेना (उद्धव ठाकरे) : ५ यहाँ १०% का नियम पूरा होने से कांग्रेस को विधान परिषद में विरोधी पक्षनेता पद मिल सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ताधारी जानबूझकर दोनों सदनों में मान्यता प्राप्त विरोधी पक्षनेता नहीं बनने देना चाहते, ताकि उनकी आवाज पूरी तरह दब सके।	है और महाराष्ट्र को 'गुजरात स्टाइल' में चला रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल का अनुकरण कर रहे हैं। विरोधी पक्षनेता पद को खारिज करके इस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। जब हम सत्ता में थे, तब सिर्फ दो सीटों वाले दलों को भी विरोधी पक्षनेता पद दिया था। यह सरकार खुद नियम-विरुद्ध है। विपक्षी नेता पद को लेकर मंत्री उदय सामंत ने मीडिया से कहा, उनके पास जरूरी संख्याबल ही नहीं है। भास्कर जाधव को कोई विरोधी पक्षनेता बनाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता।	परळी वैजनाथ (बीड) परळी के निकट एक युवक की आँखों में मिर्च की चटनी डालकर चार बदमाशों ने सोने की चेन और अंगूठियाँ लूट ली थीं। इस वारदात में कुल २ लाख २० हजार रुपये का माल गया था। घटना ५ दिसंबर की थी। बीड जिले की स्थानीय अपराध शाखा ने सिर्फ तीन दिन में पूरी टोली को गिरफ्तार कर लिया। घटना इस प्रकार हुई ५ दिसंबर २०२५ को शाम साढ़े सात बजे धारावती तांडाड़ा निवासी यशवंत प्रेमदास पवार जिम करने के बाद मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। कालरात्री देवी मंदिर के पास एक बंद ढाबे के सामने दो मोटरसाइकिलों पर आए चार बदमाशों ने उनका पीछा किया और अचानक टक्कर मारकर बाइक रोक दी। मुँह पर मास्क लगाए एक आरोपी ने चाकू दिखाकर धमकाया, दूसरे ने उनकी दोनों आँखों में मिर्च की चटनी झाँक दी और बाकी दो ने उन्हें पकड़ रखा। इसके बाद बदमाशों ने साढ़े तीन ताले की सोने की चेन (कीमत १,४०,००० रुपये) एक-एक तोले की दो सोने की दो अंगूठियाँ (कुल कीमत ८०,००० रुपये) छीनकर फरार हो गए। कुल लूट – २,२०,००० रुपये। पुलिस की त्वरित कार्रवाई बीड पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा ने ८ दिसंबर	२०२५ को गुप्त सूचना के आधार पर चारों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी पंकज तुकाराम उगलमगले (उम्र २५), मूल निवासी पाडळी ता. शिरूर कासार, वर्तमान पता पांगरी ता. परळी वैभव राम बिडगर (उम्र २०), दाऊतपूर ता. परळी श्यामसुंदर बालासाहेब फड (उम्र २०), मरळवाडी ता. परळी आदित्य सुरेश उपाडे (उम्र २०), सिद्धार्थ नागर, परळी पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने परळी के बांस फिटनेस जिम के बाहर पीड़ित का पीछा शुरू किया, जबरन बाइक रोकी, आँखों में मिर्च चटनी डाली और हथियार के जोर पर चेन-अंगूठी लूट ली। बरामद सामान लूटी गई सोने की चेन एवं दोनों अंगूठियाँ, दो मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और एक कोयता। कुल बरामदगी – १,५८,००० रुपये। इस सराहनीय कामयाबी का श्रेय श्री शिवाजी बटेवाड (पुलिस निरीक्षक, डड्ड बीड) पुलिस उपनिरीक्षक सुशांत सुतळे पुलिस हवलदार मारुती कांबळे, रामचंद्र केकान, विष्णू सामण, गोविंद भताने पुलिस कर्मचारी सचिन आंधळे चालक पुलिस हवलदार अतुल हराळे मामला परळी ग्रामीण थाने में दर्ज है और जांच जारी है।
---	--	--	--

केंद्र ने ठुकराया 'शक्ति कानून', महिला विधायिकाएँ भड़कीं : मंत्री फडणवीस को घेरा

जमीर काज़ी नागपुर महाराष्ट्र में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए उद्भव ठाकरे सरकार ने तीन साल पहले आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 'शक्ति कानून' बनाया था। इसमें बलात्कार और यौन अपराधों के लिए मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान था। विधानसभा-विधानपरिषद से पारित यह कानून अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा गया था, लेकिन तीन साल से ज्यादा इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने इसे वापस लौटा दिया है। इस फैसले से कांग्रेस और अन्य	महिला विधायिकाएँ आग-बबूला हैं। उन्होंने मौजूदा फडणवीस सरकार को जमकर घेरा और इसे महिला सुरक्षा के प्रति सरकार का सबसे बड़ा असफलता करार दिया। क्या बोलीं महिला विधायिकाएँ? कांग्रेस विधायक ज्योति गायकवाड़ ने कहा, वैष्णवी हगवणे, डॉ. संपदा मुंडे और अब डॉ. गौरी की घटना देख लीजिए – रोज़ हजारों मामले हो रहे हैं। महिला अत्याचार में महाराष्ट्र देश में नंबर-१ पर है, यह कोई गौरव की बात नहीं! शक्ति कानून महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी	देने वाला कानून था। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है, फिर भी इसे मंजूर नहीं कराया गया। एक तरफ महिला सम्मान की बातें, दूसरी तरफ महिलाओं को सुरक्षा देने वाला कानून वापस भिजवा दिया – यह इस सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। भाजपा महिला विधायक ने भी माना भाजपा की विधायक श्वेता महाले (जो उस कानून की ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल थीं) ने कहा, मैं खुद उस कमेटी में थी। हमने गहन अध्ययन के बाद विधेयक पारित कराया और केंद्र को भेजा था। अब केंद्र ने इसे वापस भेज दिया है। जल्द ही इस मुद्दे पर बैठक होगी और आगे की दिशा तय की जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस का जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, शक्ति कानून की सभी महत्वपूर्ण धाराएँ केंद्र सरकार ने अपने नए आपराधिक कानूनों (इछड, इछड, इड-) में शामिल कर ली हैं। इसलिए अलग से शक्ति कानून लागू करने की अब जरूरत नहीं है। शक्ति कानून की खास बातें बलात्कार और यौन उत्पीड़न के	लिए फांसी तक की सजा मामलों की तेज़ सुनवाई और विशेष अदालतें पीड़िताओं की सुरक्षा और पुनर्वास की मजबूत व्यवस्था महिला विधायकें का कहना है कि केंद्र के नए कानून में ये प्रावधान सिर्फ कागज़ों पर हैं, जबकि शक्ति कानून में महाराष्ट्र की ज़मीनी स्थिति को ध्यान में रखकर और भी कड़े कदम थे। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर केंद्र से दोबारा पैरवी करती है या 'शक्ति' हमेशा के लिए दफ़न हो जाएगी।
---	---	---	---